न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

(6)

जा.क्र. 3067 दि. 07/09/18 प्रकरण क्रमांक 6/धारा 40)/2017–18 दिनांक 12.03.2018

म.प्र. शासन — आवेदक

विरुध्द

1. श्री अशोक शालिकराम .... अनावेदक
   सरपंच,
   ग्राम पंचायत खकनारखुर्द
2. राजेन्द्र पिता बंशीलाल मिश्रा ..... शिकायतकर्ता
   ग्राम पंचायत खकनारखुर्द

//आदेश//

(पारित आदेश दिनांक 07.09.2018)

प्रस्तुत प्रकरण माननीय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 499/ अपील/ 2016–17 में पारीत आदेश दिनांक 02.01.2018 के आधार पर दर्ज किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत खकनारखुर्द श्री अशोक शालिकराम पटेल को दिनांक 19.01.2018 को नोटिस जारी कर सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र पिता बंशीलाल निवासी खकनार द्वारा अनावेदक श्री अशोक पिता शालिकराम सरपंच ग्राम पंचायत खकनार के विरूद्ध पद का दुरूपयोग एवं स्टाम्प ड्यूटी की हानि की शिकायत के आधार पर न्यायालय कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा प्रकरण कमांक 63बी/121/2016–17 दर्ज कर दिनांक 08.08.2017 को आदेश पारित कर इस न्यायालय को निर्देशित किया गया कि अनावेदक श्री अशोक के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही करें। इसके पालन में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2017 को आदेश कमांक 3513 दिनांक 11.08.2017 जारी कर अनावेदक श्री अशोक को ग्राम पंचायत खकनारखुर्द के सरपंच पद से हटाया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2017 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 91 के तहत अपील प्रस्तुत की गई, अपील प्रस्तुत कमांक 499/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 में माननीय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ वापस किया गया कि प्रकरण में उपनियम धारा 40 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि अनुरूप निराकरण करें। आदेश दिनांक 02.01.2018 के पालन में अपीलार्थी को दिनांक 19.01.2018 को लिखित नोटिस जारी कर पक्ष समर्थन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.02.2018 को अपना लिखित जवाब एवं दिनांक 05.2.2018 को बलीराम, श्रीमति सुशीलाबाई एवं स्वयं अशोक के शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किये गये। अनावेदक श्री अशोक द्वारा अपने लिखित जवाब में बताया गया कि वह ग्राम पंचायत खकनारखुर्द का विधिवत निर्वाचित सरपंच है। जिसके विरूद्ध राजेन्द्र पिता बंशीलाल नाम के व्यक्ति द्वारा चुनावी रंजीश एवं दुरूभावनावश झुठी शिकायत की गई है। उसके द्वारा पंचायत डिमांड पंजी कमांक 196 पर दर्ज स्थित भूमि के टेक्स वसूली को सुनिश्चित करने के लिये कब्जेदारी जो कि विगत 20 वर्षो से मकान बनाकर रह रही है, के नाम से संशोधन किया गया। उसके द्वारा नामांतरण की कार्यवाही नही की गई। अनावेदक ने अपने जवाब के आधार पर बताया कि उसके द्वारा कोई स्टाम्प की हानि नही पहुचाई है और ना ही उसके द्वारा नामांतरण किया गया है। प्रस्तुत शपथ पत्रों में भी जवाब में उल्लेखित बातों साक्ष्यों द्वारा सही होना बताया है।

प्रतिलिपि,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर की ओर कार्यवाहक सरपंच की नियुक्ति की कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित श्री ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

7/9/18

विहित प्राधिकारी
एवं
अपर कलेक्टर(विकास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर